महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

डॉ0 अम्बेडकर प्रशासनिक भवन, रघुनाथपुर, मोतिहारी – 845 401, जिला– पूर्वी चम्पारण, बिहार

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्ययोजना'
'उच्च शिक्षा का संचालन, पुनर्गठन तथा क्रियान्वयन की रूपरेखा, विषय पर
गहन विचार–विमर्श युक्त एक दिवसीय ई–कार्यशाला सत्र का

प्रतिवेदन

1. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्ययोजना' के क्रियान्वयन की रूपरेखा, संचालन तथा उच्च शिक्षा के पुनर्गठन से संबधित विचार–विमर्श हेतु एक दिवसीय आभासी ई–कार्यशाला का आयोजन दिनांक 4 अगस्त 2020 को महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, (इसके पश्चात 'एमजीसीयूबी' के रूप में संदर्भित) बिहार के माननीय कुलपति प्रो. संजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

2. प्रस्तुत बैठक में प्रख्यात शिक्षाविद् तथा शैक्षणिक प्रशासकों ने भाग लिया। प्रस्तुत वक्ताओं के नाम इस प्रकार हैं–

    1. **प्रो. मनोज दीक्षित,** पूर्व कुलपति, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उत्तर प्रदेश)
    2. **प्रो. स्मृति कुमार सरकार,** पूर्व कुलपति, बर्दवान विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल
    3. **प्रो. ए0 डी0 एन0 वाजपेयी,** पूर्व कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला (हिमाचल प्रदेश) एवं पूर्व कुलपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (मध्य प्रदेश)
    4. **प्रो. गिरीश चंद्र त्रिपाठी,** अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् एवं पूर्व कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तरप्रदेश)
    5. **प्रो. कैलाश सोडाणी,** पूर्व कुलपति, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (राजस्थान) एवं पूर्व कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राजस्थान)
    6. **प्रो. नागेश्वर राव,** कुलपति, इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं पूर्व कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, (उत्तराखण्ड) एवं पूर्व कुलपति, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहबाद (उत्तर प्रदेश)
    7. **प्रो. राम मोहन पाठक,** पूर्व कुलपति, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई (तमिलनाडु)

8. **प्रो. जी.डी. शर्मा,** कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) एवं पूर्व कुलपति, नागालैण्ड (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, कोहिमा (नागालैण्ड)

9. **प्रो. मंजुला राणा,** आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, हेमवती नन्दन बहुगुणा (केन्द्रीय) गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (उत्तराखण्ड) (विशेष आमंत्रण)

3. इन प्रख्यात वक्ताओं के अलावा, महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (बिहार) के निम्न संकाय सदस्यों की भी उपस्थिति रही–

1. **प्रो. आनंद प्रकाश**, समन्वयक, आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चियन प्रकोष्ठ, (आई0क्यू0ए0सी0) एवं संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय।

2. **प्रो. राजीव कुमार,** अधिष्ठाता, शोध एवं विकास एवं संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय।

3. **प्रो. आशीष श्रीवास्तव,** संकायाध्यक्ष, शिक्षा शास्त्र संकाय।

4. **प्रो. प्रणवीर सिंह,** कुलानुशासक एवं आचार्य, जन्तु विज्ञान।

4. आरंभ में, क्रार्यक्रम के अध्यक्ष प्रो0 संजीव कुमार शर्मा द्वारा उन सभी वक्ताओं का अभिनंदन किया गया जो अल्पावधि सूचना के बावजूद उपर्युक्त ई–कार्यशाला हेतु अपने व्यस्ततम समय से कुछ अवकाश निकाल पाए।

5. तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने प्रो0 आशीष श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, शिक्षा अध्ययन संकाय, (ई–कार्यशाला के समन्वयक) को प्रख्यात वक्ताओं का परिचय देने हेतु आमंत्रित किया।

6. सभी विशेषज्ञों का समन्वयक प्रो. आशीष श्रीवास्तव द्वारा स्वागत किया गया एवं औपचारिक स्वागत भाषण प्रो0 जी. गोपाल रेड्डी, प्रति–कुलपति, महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (बिहार) द्वारा दिया गया।

7. कार्यक्रम के समन्वयक, प्रो. आशीष श्रीवास्तव द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा "संस्थानों का पुनर्गठन एवं क्रियान्वयन" विषय का परिचय देते हुए सत्रारंभ किया गया। सभी विवेचनाओं का विषय निम्न नौ प्रमुख बिन्दुओं से संबंधित था–

a. उच्च शिक्षा के विखंडन को केसे समाप्त किया जाय?

भावी कार्ययोजना : उच्च शिक्षण संस्थान को वृहत रूप में बहु–विषयक विश्वविद्यालय और HEI समूहों (उच्चतम अनुशंसित) में परिवर्तित करना; 2030 तक बहु–विषयक विश्वविद्यालय बनाना और 2040 तक छात्रों की इच्छित संख्या स्तर पर ध्यान केन्द्रित करना।

b. कैसे विचार किया जाए कि 'उच्च शिक्षण संस्थान (HEI) का निर्माण कैसे हो?'

i. विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय?

ii. चूँकि शिक्षण और अनुसंधान, दोनों सह–संबंधित है, अतः यह निर्धारित करना प्रथमतः अनिवार्य है कि अनुसंधान परक विश्वविद्यालय शिक्षण परक विश्वविद्यालय की कार्ययोजना क्या होगी?

iii. महाविद्यालयों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने की कार्ययोजना क्या होगा? (तुलनात्मक रूप से महाविद्यालयों का समता और एकरूपता के विभाजन रूप में)।

iv. महाविद्यालयों को अनुसंधान परक विश्वविद्यालय/शिक्षण परक विश्वविद्यालयों में उत्क्रमित करने हेतु कार्ययोजना क्या होगी?

v. अनुसंधान परक विश्वविद्यालय, शिक्षण परक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, सभी अबाध रूप से कार्यरत हें तथा ये सभी संस्थान अनुसंधान परक विश्वविद्यालय और शिक्षण परक विश्वविद्यालयों में परिवर्तित हो सकते हैं, पर कैसे? उच्च गुणवत्ता की शिक्षा कैसे सुनिश्चित किया जाये?

c. यह नीति HEI के महत्त्वपूर्ण दायित्वों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है, जिससे कि वे उपयुक्त रिसोर्सिंग, प्रोत्साहन और संरचनात्मक दायित्वों का निर्वहन कर सके। (कार्यजोजना क्या होगा?)

d. 2030 तक प्रत्येक जिला अथवा उसके आसपास एक वृहत बहु–विषयक HEI का निर्माण होना? (आज हमारी चिंता समय पर मानव, भौतिक और वित्तीय संसाधनों का सामना करने से है) इसे अंतः प्रजनन, प्रान्तीयता और बहुलवाद के खतरे से कैसे बचाया जाय?

e. सार्वजनिक HEI के लिए सार्वजनिक धन सहायता के बढ़े हुए स्तर के निर्धारण हेतु निष्पक्ष और पारदर्शी कार्ययोजना क्या होगी?

f. मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रम हेतु सभी HEI को अनुमोदन प्रदान करना। आदर्श कार्ययोजना के अनुमोदन हेतु कौन–से मानदंड होंगे, हमें इस पर विचार करना होगा।

g. कुल मिलाकर उच्च शिक्षा क्षेत्र का लक्ष्य है, पेशेवर और व्यावसायिक शिक्षा सहित एक एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली का विकास करना। कार्ययोजना क्या होगी?

h. वर्तमान में देश भर में HEI का जटिल नामकरण जैसे, 'डीम्ड विश्वविद्यालय', 'संबद्धता प्राप्त विश्वविद्यालय', 'संबद्धता प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालय', 'एकात्मक विश्वविद्यालय' आदि से किया गया है। इन सबको नियमानुसार साधारण शब्दावली में 'विश्वविद्यालय' कर दिया जाना चाहिए। (स्पष्ट और वर्गीकृत रूप से परिभाषित इसका मानदंड क्या होना चाहिए?)

i. 'क्रियान्वयन हेतु सार्वजनिक और निजी संस्थानों के लिए सामान्य मानदंड पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।'– कार्ययोजना क्या होगी?

8. पूरा विचार–विमर्श दो स्तरों में संपादित किया गया। पहले दौर में प्रत्येक सदस्य को दस मिनट विषय पर अपने विचार रखने के लिए दिया गया और दूसरे दौर मे प्रत्येक सदस्य को इस विषय पर टिप्पणी करने के लिए दो मिनट का समय दिया गया।

9. इस ई–कार्यशाला–सह गहन विचार–विमर्श सत्र के कुछ प्रमुख अंश निम्नवत हैं–

1) प्रो. मनोज दीक्षित, पूर्व कुलपति, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उत्तर प्रदेश)

मुख्य बिन्दु–

i. ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरासत से प्राप्त पुरातन एवं कठोर शिक्षा व्यवस्था से दूर हटते हुए अधिक लचीला तथा सभी को एक साथ लेने वाली पश्चिमी व्यवस्था को अपनाने की आवश्यकता है।

ii. नए विश्वविद्यालय खोलने के बजाय, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के शाखाएँ/ सैटेलाईट परिसरों को खोलना बेहतर होगा। यह विश्वविद्यालय के नामी विरासत एवं मूल्यों का प्रचार करने में सहयोगी होंगे और उनकी शाखाओं को भी इन्हीं मूल्यों को आत्मसात करने का मौका मिलेगा।

iii. उच्च शैक्षणिक संस्थानों तथा उनके संकाय सदस्यों के लिए 'जवाबदेही' के साथ स्वायत्तता (HEI) समय की माँग है।

प्रमुख चिंताऐं–

i. गुणवत्ता युक्त शिक्षण।

ii. समावेशी प्रकृति।

iii. गुणवत्ता युक्त शोध।

iv. पारिवेशिक व्यवस्था का निर्माण जिसमें विश्वविद्यालय विकसित हो पाए।

v. रुचिपूर्ण विषयों की उपलब्धता जिससे कि विद्यार्थी इसे अपने से जुड़ा पाए।

vi. अध्यापकों की स्वायत्तता को बना कर रखा जाए।

vii. संज्ञानात्मक औपनिवेशीकरण से बाहर निकलना।

viii. निवर्तमान विश्वविद्यालय अपनी शाखाएं खोल पाऐं एवं अपने विकास को सुनिश्चित कर पाए।

2) प्रो. स्मृति कुमार सरकार, पूर्व कुलपति, बर्दवान विश्वविद्यालय (पश्चिम बंगाल)

मुख्य बिन्दु–

i. कार्यान्वयन में जल्दबाजी किए बिना धैर्य का परिचय दें। एन0ई0पी के पूर्ण कार्यान्वयन से पहले इसको समझने हेतु पर्याप्त समय एवं दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।

ii. एनईपी के प्रावधानों में स्पष्टता से समझने एवं वास्तविक क्रियान्वयन से पहले इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना आवश्यक होगा।

iii. अध्यापकों के विकास एवं सुधार के लिए व्यापक कार्यक्रमों का संचालन होना चाहिए।

iv. HEIs को प्रवेश और अध्यापकों के चयन की न्यायोचित और निष्पक्ष नीति अपनाने की आवश्यकता है।

प्रमुख चिंताएं–

i. प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को तत्काल संशोधित करने की आवश्यकता है।

ii. शहरी और ग्रामीण केंद्रों के बीच असमानता को दूर करने के उद्देश्य से नीति निर्माण किया जाना चाहिए।

iii. शिक्षा राज्याधीन विषय भी होने के नाते, राज्यों के साथ व्यापक परामर्श की शुरुआत की जानी चाहिए।

iv. समग्र एवं सहयोगी दृष्टिकोण को अपनाते हुए संविधान की अष्टम अनुसूची में वर्णित भारतीय भाषाओं के व्यवहार पर जोर देना चाहिए।

v. नीति के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्र की अधिकाधिक भागीदारी होनी चाहिए।

vi. कुलपतियों के कार्यान्वयन के केंद्र में होने के कारण उनका अपरिहार्य रूप से शैक्षणिक व्यक्तित्व का होना आवश्यक है।

vii. उपयुक्त संकाय सदस्यों की नियुक्ति ताकि शिक्षा व्यवस्था की पवित्रता को अक्षुण्ण बना कर रखा जा सके।

viii. शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालयों को एक साथ आना होगा।

3) प्रो. ए0डी0एन0 वाजपेयी, पूर्व कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला (हिमाचल प्रदेश)

मुख्य बिंदु–

i. प्रतिष्ठित और नव स्थापित विश्वविद्यालय में विलय के लिए नीतिगत रूपरेखा का निर्माण। यह स्थापित विश्वविद्यालय के समय–परीक्षित मूल्य प्रणाली के माध्यम से नव स्थापित संस्थानों के अपेक्षित परामर्श को सुनिश्चित करेगा।

ii. राष्ट्रपति के साथ एक 'राष्ट्रीय चांसलर परिषद' बनाने की आवश्यकता पर जोर जो भारत के विश्वविद्यालयों में अध्यक्ष के रूप में विजिटर होते हैं और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल परिषद के सदस्य हों।

iii. एन0ई0पी के नीतिगत–प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए।

iv. जनसंपर्क (पीआर) व्यवस्था का निर्माण जिससे की सभी हितधारकों की चिंताओं का समाधान संभव हो सके।

v. भारतीय शिक्षा सेवा की शुरूआत की जानी चाहिए जिससे कि चयन और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और समावेशी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके।

vi. इसी प्रकार विश्वविद्यालयों और HEIs के कुलसचिवों की नियुक्ति के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा शुरू की जानी चाहिए।

vii. विश्वविद्यालय एवं HEIs को दिशा एवं आकार देने के लिए कुलपति ही महत्वपूर्ण अधिकारी होते है इसलिए उनके चयन में कठोर एवं प्रासंगिक मानदण्डों को अपनाया जाना चाहिए।

प्रमुख चिंताएं–

i. गहन विचार–विमर्श

ii. संरचनात्मक परिवर्तन, त्वरित निर्णयन प्रक्रिया, प्रासंगिक पाठ्यक्रमों का निश्चयन

iii. अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को पुनर्जीवित करना एवं मजबूत बनाना।

iv. संसाधनों का इष्टतम उपयोग एवं उपयुक्त आवंटन।

v. राष्ट्रीय कुलाधिपति परिषद की स्थापना और राज्य वित्त पोषित।

vi. विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना।

4) प्रो. गिरीश चंद्र त्रिपाठी, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद् एवं पूर्व कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तरप्रदेश)

मुख्य बिन्दु–

i. एन0ई0पी का लागू करने से पहले इसका गहन अध्ययन एवं समझ को विकसित करना होगा।

ii. एन0ई0पी को लागू करने की बात तभी की जानी चाहिए जब इसके सभी प्रावधानों को समझा गया हो एवं सभी हितधारकों को इसके बारे में समझाया गया हो।

iii. अध्यापकों का न्यायोचित एवं निष्पक्षता पूर्ण चयन होना चाहिए।

iv. नीति तो भविष्योन्मुखी है परंतु इसका क्रियान्वयन बहुत चुनौतीपूर्ण है। उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत नामांकन एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही साथ हम वोकेशनल शिक्षा की ओर उन्मुख हो रहे है इस स्थिति में क्या हमें उच्च शिक्षा के इतने वृहत विस्तार की आवश्यकता है? क्या हमें 21वीं शताब्दी के लिए आवश्यक दक्षताओं के निर्माण पर जोर नहीं देना चाहिए?

v. उन क्षेत्रों की पहचान की जाए जहाँ हमें कार्य करने की आवश्यकता है।

vi. विभिन्न सांगठनिक क्षेत्रों में श्रम–शक्ति की आवश्यकता अनुरूप इसके निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त वोकेशनल सस्थाओं को स्थापित किया जाना चाहिए।

vii. बहुविषयक संस्थानों की स्थापना एक स्वागत योग्य कदम है एवं इसे ध्यान में रखते हुए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रारूप को अपनाया जा सकता है।

viii. शोध के लिए एन0आर0एफ0 का गठन प्रोत्साहित करने वाला है परंतु यह सभी सुविधाएं युक्त विशेष सस्थानों में किया जा सकता है।

ix. उच्च शिक्षा में नियामक की स्थापना तो अच्छी बात है परंतु इसमें पारदर्शिता का होना आवश्यक है।

x. नए विषयों–उपक्रमों के लिए प्रत्येक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण एक आवश्यक अवयव है इसलिए इस प्रकार के परिवर्तनों को समझने हेतु सेवाकालीन शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

xi. इसके साथ ही उच्च शिक्षा के सभी स्तरों में निर्गम के प्रावधानों के लिए इन प्रस्तावित बहुविषयक संस्थाओं तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी तैयार करना होगा।

xii. कार्यकारी, शैक्षणिक, एवं वित्तीय अंगों को समन्वय बनाकर कार्य करना होगा।

प्रमुख चिंताएं–

i. नीति का उद्देश्य ज्ञान संपन्न समाज की रचना होनी चाहिए।

ii. नीति का उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए।

iii. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का एकीकरण होना चाहिए।

iv. अवधारणात्मक स्पष्टता ही उद्देश्य होना चाहिए।

v. नीति की वृहद समझ हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर विमर्श की शुरूआत होनी चाहिए।

vi. मनन करें, विचार करें एवं लोगों को शिक्षित करें।

5) प्रो. कैलाश सोडाणी, पूर्व कुलपति, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (राजस्थान)

मुख्य बिन्दु–

i. HEIs को पुनःगठित एवं पुनः संरचित करने की त्वरित आवश्यकता है।

ii. संस्थाओं एवं अध्यापकों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना होगा।

iii. संघ लोक सेवा आयोग की तरह अध्यापकों का चयन करना होगा जिससे की प्रकियाओं में अंतर्निहित कमियों से बचा जा सकें।

6) प्रो. नागेश्वर राव, कुलपति, इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

मुख्य बिन्दु–

i. एन0ई0पी के नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु विश्वविद्यालयों को समयबद्ध तरीके से अपने संविधि, अध्यादेशों में परिवर्तन करना होगा।

ii. चूंकि शिक्षा व्यवस्था पुरातन दिनों से वर्गीकृत है, जनमानस को इसे समझने में समय लगेगा जिसे प्रदान किया जाना चाहिए।

iii. पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने होंगे।

iv. इस प्रकार का नियोजन से विश्वविद्यालय में संवाद की शुरूआत होनी चाहिए।

7) प्रो. राम मोहन पाठक, पूर्व कुलपति, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई

मुख्य बिन्दु–

v. विभिन्न हितधारकों में विश्वास की भावना को बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स का गठन।

vi. एन0ई0पी के सभी नीतियों को समझाने हेतु सभी राज्य सरकारों से संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए। इससे सर्वश्रेष्ठ परिणामों को प्राप्त किया जा सकेगा।

vii. HEIs के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फंड से निधियन की व्यवस्था प्रदान की जा सकती है जिससे कि इसका उपयोग किया जा सके।

viii. पाठ्यक्रमों में नवीनता एवं रचनात्मकता होनी चाहिए।

ix. अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को विश्वास में लेते हुए उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए।

प्रमुख चिंताएं–

i. एन0ई0पी स्वागत योग्य कदम है जिसमें इण्डिया के बजाए भारत को प्राथमिकता दी गई है।

ii. विस्तारित विचार–विमर्श होना चाहिए।

iii. मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं को महत्व दिया जाना चाहिए।

iv. केन्द्रीय स्तर पर इसका पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।

v. भारतीय भाषाओं में पढ़ाने वालों को समय अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए।

vi. शोध एवं शिक्षण में सीएसआर निधियन को लाना चाहिए।

8) प्रो. जी.डी. शर्मा, कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

मुख्य बिन्दु–

vii. दोहराव से बचने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर संविधि, अध्यादेशों का निर्माण किया जाना चाहिए।

viii. दक्षता–निर्माण, पाठ्यक्रम का अंश होना चाहिए, जिससे की अंतिम परिणाम मूल्य आधारित हो। विषय–वस्तु को पढ़ाने ध्समझाने के लिए उतरोत्तर डिजिटल माध्यम का प्रयोग किया जाना चाहिए।

ix. उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।

x. भारत की पारंपरिक विरासत को औपचारिक शिक्षा में जोड़ा जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उच्च शिक्षा संस्थानों के लोगों को पारंपरिक ज्ञान से समृद्ध या उस विषय के विद्वानों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

xi. HEIs अपने रूप–रेखा में वैश्विक होने चाहिए जो सभी के प्रवेश, चयन के लिए बिना किसी विशेष सुविधा/भेदभाव या सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि को सुनिश्चित करता हो।

10. विचार–विमर्श से प्राप्त मुख्य बिन्दु–

1) संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में प्रवेश एवं निर्गम सुविधाओं से युक्त बहुविषयक विश्वविद्यालयों का होना।

2) विषय एवं अध्यापकों के चयन में स्वायत्तता

3) HEIs को पेशेवर नियामक द्वारा अधिनियमित किया जाना चाहिए।

4) NRF एक ऐसी शोध संस्था हो जो सभी विषयों को एक समान महत्व प्रदान करें।

11. अध्यक्षीय वक्तव्य–

प्रो. संजीव कुमार शर्मा, माननीय कुलपति, महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (बिहार) द्वारा समापन सत्र की अध्यक्षता की गई जहाँ प्रो. आशीष श्रीवास्तव द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में "संस्थान का

पुनर्गठन एवं क्रियान्वयन" विषय से संबंधित सभी नौ बिंदुओं पर निश्चयात्मक निर्णय को निम्नलिखित पाँच बिंदुओं के आधार पर प्राप्त किया गया।

i. पहुँच

ii. समता

iii. गुणवत्ता

iv. वहन योग्य एवं

v. जवाबदेही

12. प्रो. आनंद प्रकाश, समन्वयक, आक्यूएसी प्रकोष्ठ, महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (बिहार) के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ गहन विचार–विमर्श युक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 पर आयोजित एक दिवसीय ई–कार्यशाला का समापन हुआ।

*** * * * * धन्यवाद * * * * ***